



राजस्थान सरकार

ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग  
(पंचायती राज)

क्रमांक एफ 701( )पंरावि/प्रशा.2/सहा.अभि/भैसरोडगढ/निल./20/290 जयपुर, दिनांक :- 03/02/2022

आदेश

श्री सुरेश गिरी गोस्वामी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था में सहायक अभियंता) पंचायत समिति भैसरोडगढ, (दिनांक 1.4.2015 से 10.01.2019) हाल पंचायत समिति बेंगू (चित्तौडगढ) के विरुद्ध अनुशासनिक कार्यवाही करने का निर्णय लिया गया है।

अतः राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम 13 में प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुये श्री सुरेश गिरी गोस्वामी, तत्कालीन कनिष्ठ अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था में सहायक अभियंता) पंचायत समिति भैसरोडगढ, हाल पंचायत समिति बेंगू (चित्तौडगढ) को तुरन्त प्रभाव से निलम्बित किया जाता है। निलम्बन काल में मुख्यालय पंचायती राज विभाग रहेगा, तथा नियमानुसार निर्वाह भत्ता देय होगा।

यह सक्षम स्तर से अनुमोदित है।

आज्ञा से,

( सुनील शर्मा )

अतिरिक्त आयुक्त  
एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु -

- विशिष्ट सहायक, माननीय उप मुख्यमंत्री महोदय, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग राजस्थान, जयपुर।
- निजी सचिव, अतिरिक्त मुख्य सचिव, ग्रामीण विकास एवं पंचायती राज विभाग
- निजी सचिव, विशिष्ट शासन सचिव एवं निदेशक, पंचायती राज विभाग।
- जिला कलेक्टर, चित्तौडगढ।
- मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिला परिषद, चित्तौडगढ को लेख है कि संबंधित कनिष्ठ अभियंता के विरुद्ध सीसीए नियम अन्तर्गत अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव अविलम्ब प्रेषित करावें।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, भैसरोडगढ/बेंगू जिला चित्तौडगढ।
- विकास अधिकारी, पंचायत समिति, बेंगू (चित्तौडगढ) को प्रेषित कर लेख है कि श्री सुरेश गिरी गोस्वामी, कनिष्ठ अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था में सहायक अभियंता) को निलम्बन अवधि में पंचायती राज विभाग में उपस्थिति दर्ज करने हेतु निर्देशित करें।
- श्री सुरेश गिरी गोस्वामी कनिष्ठ अभियंता (कार्यकारी व्यवस्था में सहायक अभियंता), पंचायत समिति, भैसरोडगढ हाल पंचायत समिति बेंगू को प्रेषित कर निर्देश दिये जाते है कि वे सम्बन्धित अधिकारी की पूर्वानुमति प्राप्त किये बिना मुख्यालय नही छोडेगे।
- ए.सी.पी. मुख्यालय को बेबसाईट पर अपलोड हेतु।
- गार्ड फाईल।

अतिरिक्त आयुक्त

एवं संयुक्त शासन सचिव (तृतीय)